

राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर

फोन नं.- 0141-2399335, 2399336 ई मेल- ccosjerajasthan@gmail.com

क्रमांक: एफ 20(9) (2)बा.अ.वि./कि न्या अ/किन्याबोर्ड/मनोनयन पार्ट-3/16/ जयपुर दिनांक २।५।१८

6327

विज्ञप्ति

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के अन्तर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों की जाँच एवं निपटान हेतु राज्य के कोटा जिले में 2-सदस्य पद, श्रीगंगानगर जिले में 1-सदस्य पद, झुंझुनू जिले में 1-सदस्य पद, झालावाड़ जिले में 1-सदस्य पद, पाली जिले में 1-सदस्य पद, व जयपुर जिले में 1- सदस्य पद हेतु जिलों में बाल कल्याण समिति के सदस्यों का चयन राज्य स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

उक्त वर्णित पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं/योग्यताओं एवं सामान्य दिशानिर्देशों की जानकारी एवं आवेदन पत्र विभागीय वेब साईट www.sie.rajasthan.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में भरकर दिनांक 22/06/18 तक संबंधित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालयों में जमा करवाया जा सकता है।

क्रमांक: एफ 20(9) (2)बा.अ.वि./कि न्या अ/किन्याबोर्ड/मनोनयन पार्ट-3/16/ जयपुर दिनांक २।५।१८
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अतिशीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- 6328-6438

- विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- माननीय अध्यक्ष, राज्य स्तरीय चयन समिति, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जयपुर।
- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- सहायक निदेशक/प्रभारी, जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों के क्रम में योग्य आवेदकों के आवेदन विशेष वाहक द्वारा जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई, की अभिशंषा/अग्रेषण पत्र सहित दिनांक-३०/६/१८ तक विभाग को भिजवाने का श्रम करावें। यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक पद के लिये कम से कम तीन अभ्यर्थी हो ताकि चयन समिति के समक्ष योग्य व्यक्तियों के चयन हेतु विकल्प उपलब्ध रहे।
- उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग।
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को उक्त विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय चयन समिति

बाल कल्याण समिति के लिए अध्यक्ष/सदस्यों के मनोनयन हेतु

अपेक्षित अर्हताएं/योग्यता/सामान्य दिशा निर्देश

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 व किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों की जाँच एवं निपटान हेतु एक या अधिक बाल कल्याण समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य (जिनमें से एक महिला एवं 1 बच्चों से संबंधित विषयों का विशेषज्ञ होना चाहिए) से मिलकर बनी एक न्यायपीठ होगी। प्रत्येक बाल कल्याण समिति को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रदत्त महानगर मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होगी।

बाल कल्याण समिति में किसी भी व्यक्ति के अध्यक्ष/सदस्य पद पर मनोनयन हेतु अपेक्षित अर्हताएं निम्नानुसार हैं:-

1. किसी व्यक्ति को समिति के सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसा व्यक्ति, कम से कम सात वर्ष तक बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याणकारी संबंधी कार्यकलापों में सक्रिय रूप से अन्तर्वलित न हो या बाल मनोविज्ञान (Child Psychology) या मनोविकृति-विज्ञान (Psychiatry) या विधि (Law) या सामाजिक कार्य (Social Work) या समाज विज्ञान (Sociology) अथवा मानव विकास (Human development) में डिग्री के साथ व्यवसायरत व्यवसायी न हो।
2. समिति का कोई भी सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नहीं होंगे।
3. राज्य सरकार द्वारा समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति, जाँच किए जाने के पश्चात समाप्त की जाएगी, यदि:-
 - a) वह इस अधिनियम के अधीन निहित शक्ति के दुरुपयोग का दोषी पाया गया हो,
 - b) वह किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध की बाबत उसे पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है,
 - c) वह किसी विधिमान्य कारण के बिना लगातार तीन मास तक, समिति की कार्यवाहियों में उपस्थित रहने में असफल रहता है या किसी वर्ष में कम से कम तीन-चौथाई बैठकों में उपस्थित रहने में असफल रहता है।

किसी व्यक्ति के अध्यक्ष/सदस्य पद पर मनोनयन हेतु अपेक्षित अन्य आवश्यक अर्हताएं निम्नानुसार हैं:-

- i. समिति के अध्यक्ष/सदस्यों की आयु 35 वर्ष से अधिक होगी और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों के क्षेत्र में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होगा या वे बाल मनोविज्ञान (Child Psychology) या मनश्चिकित्सा (Psychiatry) या सामाजिक कार्य (Social Work) या समाज विज्ञान (Sociology) या मानव विकास (Human development) या विधि

(Law) क्षेत्र में, डिग्री के साथ व्यवसायरत कृतिक या सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी हो (Retired Judicial Officer)।

- ii. ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नहीं होना चाहिए, जो अधिनियम और इन नियमों के अनुसार समिति के कार्य के लिए व्यक्ति का आवश्यक समय व ध्यान देने की अनुमति न देता हो।
- iii. समिति के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा न हो।
- iv. अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक पद का पदाधिकारी न हो।
- v. दिवालिया न हो।

इस क्रम में राज्य के कोटा जिले में 2—सदस्य रिक्त पद, श्रीगंगानगर जिले में 1—सदस्य रिक्त पद, झुंझुनू जिले में 1—सदस्य रिक्त पद, झालावाड जिले में 1—सदस्य रिक्त पद, पाली जिले में 1—सदस्य रिक्त पद, व जयपुर जिले में 1—सदस्य रिक्त पद, सदस्य का चयन किया जाना है।

बाल कल्याण समिति में सदस्यों का चयन 3 वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बैठकों में भाग लेने के पेटे मनोनीत सदस्यों को निर्धारित बैठक भत्ता दिया जाएगा।

अतः बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद के विरुद्ध मनोनयन हेतु ऊपर वर्णित अर्हताएं रखने वाले आवेदनकर्ता सम्बन्धित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से दिनांक 22-6-18 तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदन पत्र उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/जिला बाल संरक्षण इकाई के संबंधित जिला कार्यालय एवं विभागीय वेब साईट www.sje.rajasthan.gov.in, से प्राप्त किए जा सकते हैं एवं आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप में भरकर निर्धारित दिनांक तक संबंधित जिला कार्यालयों में जमा करवाया जा सकता है।

नोट:—आवेदनकर्ता को पुलिस चरित्र सत्यापन संलग्न करना आवश्यक होगा।

निदेशक एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय चयन समिति